सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 34 / 19 **निर्णय दिनांकः 16.08.2019**

1. मुखराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 6 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रामकरण पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चक 6 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 03–10–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 12–08–2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 1 ता 5 तादादी 5 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में मौके पर मुंगफली की फसल खड़ी है। इसी चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 106/20 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की किला नम्बर 6 ता 25 में 20 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या पूर्व से ही किला नम्बर 5 से आवागमन करता आ रहा है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया की चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 6 ता 20 में 20 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन करने में दिन–प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेस्पोडेन्ट के चिपते ही अपीलांट की खातेदारी भूमि किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी को उसके खेत में आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 5 में से 02 बिस्वा रास्ता कायम दिये जाने की अभिशंसा किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 05 में 02 बिस्वा रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 6 ता 25 की 20 बीघा भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किला नम्बर 5 में से रास्ता प्रदान किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 106/20 के किला नम्बर 5 में से 02 बिस्वा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, परन्तु उक्त आदेश में अपीलांट के धारण की भूमि जोकि रास्ते हेतु अधिग्रहित की गई है की एवज में डीएलसी दर से दुगनी राशि प्रदान किये जाने अथवा भूमि के बदले भूमि दिये जाने के बाबत् किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु अधिग्रहित की गई भूमि की एवज में अपीलांट को अपने धारण की किला नम्बर 10 में से 02 बिस्वा भूमि दिये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान की गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर पक्षकारों की सहमति पर रास्ते के लिये किला नम्बर 5 में से अवाप्त की गई 02 बिस्वा भूमि के बदले रेस्पोडेन्ट की भूमि में से 02 बिस्वा भूमि देने की शर्त पर निर्णय बहाल रखा जाता है। तहसीलदार क्षतिपूर्ति में दिये गये रकबे का राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर